



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27042021-226776
CG-DL-E-27042021-226776

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 27, 2021/वैशाख 7, 1943

No. 237]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 27, 2021/VAISAKHA 7, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2021

सा.का.नि. 295(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 24/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 26 अप्रैल, 2021, जिसे सा.का.नि. 288(अ) दिनांक 26 अप्रैल, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित गया था, में, सारणी में, यथा-

- (1) क्रम संख्या 1 में, स्तंभ (5) और (6) में, "रूस" के स्थान पर "कोरिया गणराज्य" पढ़ा जाए;
- (2) क्रम संख्या 2 में, स्तंभ (5) और (6) में, "रूस" के स्थान पर "कोरिया गणराज्य" पढ़ा जाए;
- (3) क्रम संख्या 3 में,-
 - (i) स्तंभ (5) में, "रूस" के स्थान पर "कोरिया गणराज्य, रूस" पढ़ा जाए;
 - (ii) स्तंभ (6) में, "रूस" के स्थान पर "कोरिया गणराज्य" पढ़ा जाए।

[फा. सं. 354/113/2020-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****CORRIGENDA**

New Delhi, the 27th April, 2021

G.S.R. 295(E).—In the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 24/2021-Customs (ADD), dated the 26th April, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 288(E), dated the 26th April, 2021, in the TABLE, namely-

- (1) in serial number 1, in columns (5) and (6), for “Russia”, read “Korea RP”;
- (2) in serial number 2, in columns (5) and (6), for “Russia”, read “Korea RP”;
- (3) in serial number 3, -
 - (i) in column (5), for “Russia”, read “Korea RP, Russia”;
 - (ii) in column (6), for “Russia”, read “Korea RP”.

[F. No. 354/113/2020-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.